राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग

दूरभाषः–2415091-95, फेक्सः–0294 - 2410526

क्रमांकः निदे / अ.ख.अ. नीलामी / नीलामी (ERCC/RCC 11) / 2025 / ई–11088

ई–नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके अवधि संविदा निष्पादन की दिनांक से 31–03–2027 तक के लिये) ई–नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रोनिक प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित की जाती है :–

क्र.स.	ठेका क्षेत्र का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	26	खनि अभियन्ता, भरतपुर	जिला डीग की तहसील नगर, पहाडी, सीकरी एवं कुम्हेर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/माप)	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/माप)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	892973790	13-05-2025	14-05-2025	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
2	54, 57 व 173	सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली	जिला कोटपूतली-बहरोड की तहसील कोटपूतली एवं पावटा की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, मार्बल, लाईमस्टोन, केल्साईट, चाईना क्ले, व्हाईट क्ले, फायर क्ले, डोलोमाईट, सिलिका सेण्ड, रेड ऑकर, यलो ऑकर एवं क्वार्टजाईट	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, मार्बल, लाईमस्टोन, केल्साईट, चाईना क्ले, व्हाईट क्ले, फायर क्ले, डोलोमाईट, सिलिका सेण्ड, रेड ऑकर, यलो ऑकर एवं क्वार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	542871040	13-05-2025	14-05-2025	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
3	36	सहायक खनि अभियन्ता, चुरु	जिला चूरू की तहसील सुजानगढ के क्षेत्र सारोठिया, जीली, परेवडा, चरला, कोडासर, जाटान एवं तहसील बीदासर के क्षेत्र जैतासर, मानपुरा (छोटी घंटियाल), पालास, सडू बड़ी व बीदासर (कॉरी क्षेत्र को छोडकर) एवं जिला बीकानेर की तहसील श्रीडूंगरगढ के ग्राम बाडेला की राजस्व सीमा में खनिज मैसेनरी स्टोन के प्रभावशाली खननपट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज मैसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	67260591	13-05-2025	14-05-2025	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
4	106	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	जिला जैसलमेर की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट	ईआरसीसी	ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	57256430	13-05-2025	14-05-2025	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
5	178 (190, 191)	खनि अभियन्ता, अजमेर	जिला अजमेर की संपूर्ण राजस्व सीमा व जिला ब्यावर की तहसील जैतारण व बदनौर तथा ग्राम पंचायत बौरवा, सारोठ, डूंगरखेडा, बार, शेखावास, पीपली का बाडीया(लगतखेडा), बिलीयावास को छोड़ते हुए संपूर्ण वर्तमान ब्यावर जिले की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन, केल्साईट, क्वार्टजाईट एवं ऑकर के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज सोपस्टोन, केल्साईट, क्वार्टजाईट एवं ऑकर	ईआरसीसी	सोपस्टोन, केल्साईट, क्वार्टजाईट एवं ऑकर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	5900684	13-05-2025	14-05-2025	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
6	41	खनि अभियन्ता, जयपुर	जिला जयपुर की तहसील फुलेरा, जोबनेर व किशनगढ-रेनवाल की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, गिट्टी	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, गिट्टी	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	131727878	13-05-2025	14-05-2025	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Tanwar
Designation : Director
Date: 2025.05.05 20:18:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15109399

7	174, 222, 253	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना	जिला सीकर की तहसील नीमकाथाना, पाटन की राजस्व सीमा एवं तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम लोढा की ढाणी में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 48/2005 में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, मार्बल, सिलिका सेण्ड, केल्साईट, ग्रेनाईट एवं डोलोमाईट	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, मार्बल, सिलिका सेण्ड, केल्साईट, ग्रेनाईट एवं डोलोमाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1031006175	14-05-2025	15-05-2025	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
8	40	खनि अभियन्ता, जयपुर	जिला जयपुर की तहसील दूदू, मौजमाबाद व फागी की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन (चेजा पत्थर), गिट्टी, ग्रेनाईट	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन (चेजा पत्थर), गिट्टी, ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	326735012	14-05-2025	15-05-2025	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
9	172, 242 व 257	खनि अभियन्ता, सीकर	जिला सीकर की तहसील खण्डेला एवं श्रीमाधोपुर की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन, मार्बल, क्वार्टजाईट, सिलिका सेण्ड, ऑकर, चाईना क्ले एवं केल्साईट	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन, मार्बल, क्वार्टजाईट, सिलिका सेण्ड, ऑकर, चाईना क्ले एवं केल्साईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	165723182	14-05-2025	15-05-2025	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
10	260A 50 (51, 52)	सहायक खनि अभियन्ता,टोंक	सम्पूर्ण जिला टोंक की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट, चेजा पत्थर एवं फिलाईट शिष्ट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट, चेजा पत्थर एवं फिलाईट शिष्ट	ईआरसीसी	ग्रेनाईट, चेजा पत्थर एवं फिलाईट शिष्ट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	405455027	14-05-2025	15-05-2025	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
11	67	खनि अभियन्ता, अलवर	जिला कोटपुतली-बहरोड की बानसूर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	58104783	14-05-2025	15-05-2025	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
12	113	सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली	जिला कोटपूतली-बहरोड की तहसील विराटनगर की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर, क्वार्टजाईट, सिलिका सेण्ड के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, क्वार्टजाईट, सिलिका सेण्ड	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, क्वार्टजाईट, सिलिका सेण्ड	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	53867704	14-05-2025	15-05-2025	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
13	55	सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली	जिला कोटपूतली-बहरोड की तहसील बहरोड, नीमराणा एवं माण्डन की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, स्लेट स्टोन	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, स्लेट स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	8698229	15-05-2025	16-05-2025	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
14	266	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील रियाबड़ी की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट	ईआरसीसी	ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	16812709	15-05-2025	16-05-2025	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
15	60	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	जिला दौसा की तहसील महवा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1414467	15-05-2025	16-05-2025	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
16	171(58)	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	जिला दौसा की तहसील दौसा, सैंथल व कुण्डल की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर, पट्टी कातला, झींकरा, सोपस्टोन व सिलिकासैण्ड	ईआरसीसी	चेजा पत्थर, पट्टी कातला, झींकरा, सोपस्टोन व सिलिकासैण्ड	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	57581415	15-05-2025	16-05-2025	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
17	248	खनि अभियन्ता, बीकानेर	जिला बीकानेर की तहसील लूणकरनसर की राजस्व सीमा में ग्राम दुलमेरा में स्वीकृत क्वारी लाईसेन्स बाउण्ड्री से निर्गमित खनिज सैन्डस्टोन पट्टी कातला, खण्डा	आरसीसी	सैन्डस्टोन पट्टी कातला, खण्डा	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1350337	15-05-2025	16-05-2025	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
18	112	सहायक खनि अभियन्ता, चूरू	जिला चूरू की तहसील बीदासर के क्षैत्र बीदासर क्वारी बाउन्ड्री में खनिज सैण्ड स्टोन के प्रभावशील क्वारी लाईसेंस से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन, पट्टी कातला व खण्डा (चिनाई पत्थर)	आरसीसी	सैण्ड स्टोन, पट्टी कातला एवं खण्डा (चिनाई पत्थर)	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	3551384	15-05-2025	16-05-2025	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Tanwar
Designation : Director
Date: 2025.05.05 20:18:34 IST
Reason: Approved

19	69	खनि अभियन्ता, सिरोही	जिला सिरोही की तहसील शिवगंज की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टो से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	25656570	19-05-2025	20-05-2025	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
20	258	सहायक खनि अभियन्ता, सलूम्बर	जिला डूंगरपुर की तहसील आसपुर एवं साबला की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टो से निर्गमित खनिज मार्बल तथा क्वारी लाईसेंस क्षेत्र से निर्गमित खनिज पट्टी कातला	ईआरसीसी/ आरसीसी	मार्बल / पट्टी कातला	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	4471014	19-05-2025	20-05-2025	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
21	221	खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर की तहसील डूंगरपुर, सीमलवाडा, चीखली एवं झौथरी की राजस्व सीमा में खनिज सरपेनटाईन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सरपेनटाईन	ईआरसीसी	सरपेनटाईन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	23460760	19-05-2025	20-05-2025	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
22	204	खनि अभियन्ता, बांसवाड़ा	जिला बांसवाडा की तहसील बांसवाडा व गढी की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट	ईआरसीसी	मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	350045000	19-05-2025	20-05-2025	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
23	32	खनि अभियन्ता, चित्तौडगढ़	जिला चित्तौडगढ की तहसील चित्तौडगढ के क्वारी क्षेत्र मान्दलदेह में खनिज मार्बल के प्रभावशील क्वारी लाईसेन्सों से निर्गमित खनिज मार्बल (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप)	आरसीसी	मार्बल (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/ माप)	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	2050368	19-05-2025	20-05-2025	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
24	80	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में खनिज सेण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1600339	19-05-2025	20-05-2025	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
25	46	खनि अभियन्ता, झुंझुनु	जिला झुंझुनू की तहसील झुंझुनू (ग्राम-मोडा पहाड़ में प्रभावी खनन पट्टों को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	47963100	21-05-2025	22-05-2025	10.00 ए.एम. से 12.00 पी. एम.
26	59	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	जिला दौसा की तहसील लालसोट व सिकराय के ग्राम राजपुरा गिलारी की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	33034600	21-05-2025	22-05-2025	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.

(अ) **महत्वपूर्ण शर्तें–**

1. ई–नीलामी हेतु बोली वार्षिक ठेका राशि की ली जावेगी। विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 8 में वर्णित ''ठेके की आरक्षित राशि'' के उपर बोली प्रारंभ की जायेगी। सफल बोलीदाता की वार्षिक बोली 25 लाख रूपये तक होने पर प्रथम किश्त के रूप में बोली राशि का 25 प्रतिशत संविदा निष्पादन से पूर्व एवं शेष राशि संविदा के अनुसार अग्रिम रूप से तीन त्रैमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। यदि वार्षिक बोली राशि 25 लाख रूपये से अधिक है तो राशि संविदा अनुसार 12 समान किश्तों में अग्रिम रूप से जमा करानी होगी, जिसमें से प्रथम किश्त संविदा निष्पादन से पूर्व जमा करानी होगी।
2. ठेकों की वार्षिक राशि ई–नीलामी में प्राप्त होने वाली उच्चतम बोली के आधार पर निर्धारित की जावेगी। परंतु ठेका स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी स्वतंत्र होगें। यदि रॉयल्टी, परमिट फीस या अन्य चार्जेज (जो लागू हो) में वृद्धि अथवा कमी की जाती है तो उक्त परिवर्तन की तिथि से ठेका राशि में आनुपातिक बढ़ोतरी/ कमी की जायेगी।
3. ठेका किसी अन्य को हस्तान्तरण /सबलेट तथा अर्द्यपण (सरेन्डर) नहीं किया जा सकेगा।
4. ठेका अवधि में प्रभावी खननपट्टा/ क्वारीं लाईसेंस /परमिट के खण्डित/ सरेन्डर होने या नये स्वीकृत होने अथवा प्रभावी खननपट्टा के स्थिर भाटक में संशोधन होने/ न्यायालय / शासन / अन्य कारणों से खनन पट्टा /क्वारीं लाईसेंस /परमिट के स्थायी या अस्थायी रूप से बंद कराये जाने या होने से वार्षिक ठेका राशि पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
5. ठेकों में कोई भी व्यक्ति/ फर्म/ कंपनी आदि बोली में भाग ले सकते है।
6. ई–नीलामी हेतु गाईडलाईन एवं ठेके की शर्तों का उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 (समय–समय पर हुये संशोधनों अनुसार) में किया हुआ है। ठेकेदार ठेके की सभी नियम/ शर्तों एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 व उसमें होने वाले संशोधनों की पालना करने हेतु बाध्य होगा। साथ ही ठेकेदार को शासन अथवा विभागीय अधिकारी के निदेशों की पालना करनी होगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Tanwar
Designation : Director
Date: 2025.05.05 20:18:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15109399

7 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in व इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाता मेसर्स एम.एस.टी.सी. लि0 की वेबवाईट mstcecommerce.com पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

(ब) **बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रियाः–**

1 ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही मेसर्स एमएसटीसी लि0 के पोर्टल पर पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा मेसर्स एमएसटीसी लि0 के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।

2 ई–नीलामी की प्रकिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्पलेक्स, टोंक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141–2742208 व ई–मेल आई डी mstcjaipur@mstcindia.co.in है।

3 पंजीयन प्रकिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई–मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास–II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।

4 ई–नीलामी प्रकिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को मेसर्स एमएसटीसी लि0 के प्लेटफार्म पर स्वयं ही पंजीयन करना होगा, जो कि ओटीपी बेस्ड है। पंजीयन हेतु रजिस्ट्रेशन फीस राशि रूपये 10000/– व जी.एस.टी. मेसर्स एमएसटीसी लि0 में जमा करानी होगी। पंजीयन प्रकिया पूर्ण होने पर बोलीदाता का लॉगईन बन जाता है। इसके लिए बोलीदाता को किसी प्रकार के दस्तावेज मेसर्स एमएसटीसी लि0 में भेजने की आवश्यकता नही है।

(स) **ई–नीलामी की प्रकिया :–**

1 ई–नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर मेसर्स एमएसटीसी लि0 में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग–अलग अमानत राशि जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस–जिस ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी। अमानत राशि ठेके की आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत होगी।

2 जिस ठेके में बोली प्राप्त होती है। उसमें भाग लेने वाले उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोलीदाताओं की अमानत राशि ठेका समाप्ति के पश्चात् अधिकतम 30 मिनट में बोलीदाता के वालेट में लौटा दी जावेगी। जिससे बोलीदाता लौटाई गई अमानत राशि को अन्य ठेके की बोली में भाग लेने हेतु काम में ले सकता है। जिन ठेकों की बोली सायं 6:00 बजे के पश्चात् समाप्त होगी उनमें उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की बिड सिक्यूरिटी राशि उनके वालेट में बोली समाप्ति के अगले दिन प्रातः 10:00 बजे तक सेवा प्रदाता कंपनी (MSTC Ltd) द्वारा लौटाई जायेगी, क्योंकि सायं 6:00 बजे के पश्चात् किसी भी ठेके की बोली नये सिरे से प्रारंभ नहीं होगी।

3 अमानत राशिं इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. जमा करानी होगी।

4 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई–नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वंय जिम्मेदार होगा।

5 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा मेसर्स एमएसटीसी लि0 को दिये गये है) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।

6 आरक्षित राशि से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढा सकता है । नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ जावेगा। यह प्रकिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रूपये के गुणांक (multiple) में बढाई जा सकेगी।

7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में नियम 37(7)(ए) के अंतर्गत निम्न दस्तावेज सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने आवश्यक होगें:–

i बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी ना बकाया प्रमाण पत्र जो कि ई–नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।

ii विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ–पत्रः– यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/– के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई विभाग एवं सेवा प्रदाता कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ–पत्र तैयार किया जावें।

1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
नोट–शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।

iii बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफीकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।

iv बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।

v आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।

vi PAN card / GSTIN की प्रति।

vii एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।

viii ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।

8 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उपरोक्त बिन्दु संख्या 7 अनुसार दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो सफल बोलीदाता उच्चतम बोली राशि की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ आगामी 15 दिवस की अवधि पालना हेतु बढ़ी हुई मानते हुये आवश्यक पूर्तिया कर सकेगा। नियमानुसार उपरोक्त समयावधि में दस्तावेज जमा नहीं कराने पर नियम 37(7)(बी) के प्रावधानों अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा जमा अमानत राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों के लिए ई–ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।

(दीपक तंवर)
निदेशक

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Tanwar
Designation : Director
Date: 2025.05.05 20:18:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15109399

क्रमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 11)/2025/ई–11088

प्रतिलिपि :–

1– शाखा प्रबंधक, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन मेसर्स एम॰ एस॰ टी॰ सी॰ लि0 की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

2– नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

3 – नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

4– निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :–

अ– अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।

ब – अधीक्षण खनि अभियंता – उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स– खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी–I/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/ उदयपुर/राजसमन्द–I/II/आमेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर ।

य –सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ/चुरू/ नीमकाथाना/सावर/ खेतड़ी।

(दीपक तंवर)
निदेशक

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Tanwar
Designation : Director
Date: 2025.05.05 20:18:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15109399